रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935
No. 17] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

विषय : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 11 के अंतर्गत, श्री सुनील राजाराम राउत, जो 2009 में आयोजित महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 157–भान्डुप पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए अपील ।

आ.अ. 24(अ).— यत: श्री सुनील राजाराम राउत, जो 2009 में आयोजित महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान महाराष्ट्र राज्य के 157– भान्डुप पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, को निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत आयोग के आदेश संख्या सं. 76/एमटी-वि0स0/2009 दिनांक 9 जुलाई, 2012 के जरिए निरर्हित घोषित कर दिया गाया था ।

यत: आयोग का निरर्हता आदेश दिनांक 9 जुलाई, 2012 प्राप्त होने के उपरांत, श्री सुनील राजाराम राउत ने क्रमश: दिनांक 24 फरवरी, 2013, 13 मार्च एवं 5 अगस्त, 2013 के अपने अभ्यावेदनों के जरिए उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपील दायर की थी जिनमें यह कहा गया था कि वे खराब स्वास्थ्य के कारण निर्वाचन व्ययों का लेखा यथा समय और यथापेक्षित परीके से दाखिल करने में विफल रहे और भारत निर्वाचन आयोग के मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए उनकी ओर से कोई कृत्य जान-बूझकर, इरादतन या अन्यथा नहीं किया गया था ।

यत: श्री सुनील राजाराम राउत की 6 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी । उन्होंने सूचित किया कि अब उन्होंने विधि के अंतर्गत यथापेक्षित सभी संगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं । उन्होंने आयोग के आदेश सं. 76/एमटी-वि0स0/2009 दिनांक 9 जुलाई, 2012 के जरिए अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए भी प्रार्थना की थी ।

यत: श्री सुनील राजाराम राउत के अभिलेखों का अवलोकन करने और सुनवाई होने पर यह पाया गया है कि अधिरोपित निरर्हता सही है ।

यतः सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान अपीलीय प्राधिकारी का यह मत हुआ है कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो निर्वाचन व्ययों के लेखा को समय पर और यथापेक्षित तरीके से दाखिल करने की उनकी विफलता को स्पष्ट करते हैं और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखकर, मामले में नरम रूख अपनाते हुए अपीलीय प्राधिकारी, एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के पूर्वाक्त आदेश दिनांक 09/07/2012 के जरिए उन पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि कम करने का निर्णय लेते हैं ।

एतद्द्वारा, यह निर्णय लिया जाता है कि धारा 10क के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 09/07/2012 के जरिए श्री सुनील राजाराम राउत पर अधिरोपित निरर्हता इस आदेश की तारीख से हट जाएगी । परिणामतः, आयोग के आदेश संख्या 76/एमटी वि. स./2009 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में क्रम संख्या 31 पर मौजूद श्री सुनील राजाराम राउत का नाम इस आदेश की तारीख से उक्त आदेश में हटा दिया गया माना जाएगा ।

[सं0 76/एमटी-वि.स./157/2009]

आदेश से,

सुधीर त्रिपाठी, उप निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 20th February, 2014

In re : Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Shri Sunil Rajaram Raut, a contesting candidate from 157 – Bhandup (West) Assembly Constituency at the General Election to Maharashtra Legislative Assembly held in 2009.

O.N. 24(E).— Whereas, Shri Sunil Rajaram Raut, a contesting candidate from 157–Bhandup (West) Assembly Constituency in the State of Maharashtra during General Election to Maharashtra Legislative Assembly held in 2009, had been disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for not filling any account of election expenses vide Commission's Order No. 76/MT-LA/2009, dated 9th July, 2012.

Whereas, after receipt of the Commission's disqualification order dated the 9th July, 2012, Shri Sunil Rajaram Raut filed appeal under Section 11 of the aforesaid Act for removal of disqualification imposed on him vide his representations dated 24th February, 2013, 13th March and 5th August, 2013 respectively, stating therein that he failed to lodge accounts of election expenses within the time and in the manner required on account of ill health and that there was no willful, intentional or otherwise act on his part to violate the norms of Election Commission of India.

Whereas, Shri Sunil Rajaram Raut was given personal hearing on 6th December, 2013. He informed that he has now submitted before the Commission photocopies of all the relevant documents as required under the law. He has also prayed for the removal of the disqualification imposed on him vide Commission's Order No. 76/MT-LA/2009, dated 9th July, 2012.

Whereas, on pursuing the records and hearing Shri Sunil Rajaram Raut, it is observed that the disqualification imposed is correct.

Whereas, during the course of the hearing, the appellate authority is of the view that there are sufficient reasons that explain his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required and hence, taking a lenient view in the matter, in view of the submissions made by the appellant, the Appellate Authority hereon decides to reduce the period of Disqualification imposed on him, under Section 10A of R. P. Act, 1951 vide aforesaid Order of Election Commission, dated 09/07/2012.

It is hereby decided that the disqualification imposed on Shri Sunil Rajaram Raut, under section 10A, vide Election Commission of India Order dated 09/07/2012 shall stand removed from the date of this Order. Consequently, the name of Shri Sunil Rajaram Raut appearing at Serial No. 31 in the Commission's Order No. 76/MT-LA/2009, dated 9th July, 2012, shall be deemed to have been deleted from the said order with effect from the date of this Order.

[No.76/MT-LA/157/2009]

By Order,

SUDHIR TRIPATHI, Dy. Election Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054